

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग० 652-दो/15 एवं 653-दो/15
विरुद्ध आदेश दिनांक 25-2-15 पारित द्वारा अपर आयुक्त,
भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 412/अपील/12-13 एवं
411/अपील/12-13 .

निग० 652-दो/15 एवं 653-दो/15

मदीना मस्जिद कमेटी,

स्टेशन रोड गंज बासौदा द्वारा -

श्री हाफिज जाहिद खां पुत्र मीर खां

निवासी एकता चौक वार्ड नं० 13,

स्टेशन रोड, गंज बासौदा

जिला विदिशा म०प्र०

----- आवेदक

विरुद्ध

1- म० प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, विदिशा

2- आशिफ मोहम्मद पुत्र

स्व० श्री गोस मोहम्मद खान

निवासी मकान नं० 3 मोती क्वार्टर

एम 74 के सामने, 56 क्वार्टर के पास

टीला जमालपुर भोपाल

3- नूर मोहम्मद उर्फ भूरा मियां स्व. श्री गोस मोहम्मद खान

निवासी गांधी चौक गंज बासौदा

जिला विदिशा म०प्र०

----- अनावेदकगण

श्री पी० के० तिवारी, अधिवक्ता, आवेदक.

श्री आर० के० उपाध्याय, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक-2.

श्री अरशद अली, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक-3.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 4-1-2016 को पारित)

(M)

for

ये निगरानियां अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के

(M)

प्रकरण क्रमांक 412/अपील/12-13 एवं 411/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 25-2-15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई हैं । दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने, पक्षकार एक होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा एक साथ तर्क किए जाने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सरूपनगर स्टेशन रोड, बासौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 42 रकबा 0.742 हैक्टर के संबंध में पटवारी द्वारा दिनांक 21-8-12 को इस आश की रिपोर्ट पेश की गई कि उक्त भूमि में से 450 वर्गमीटर पर अनावेदक क्रमांक 3 नूर मोहम्मद द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण कर लिया है । पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार ने अनावेदक क्रमांक 3 को नोटिस जारी किया गया जिसके उत्तर में उसके द्वारा उपस्थित होकर जबाव पेश करने हेतु समय चाहा । तहसीलदार द्वारा समय देने संबंधी आवेदन निरस्त कर दिया तथा पटवारी के कथन लेकर अनावेदक क्रमांक 3 को अतिक्रमक मानते हुए अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखल किए जाने के आदेश दिए । तत्पश्चात दिनांक 10-9-12 को प्रश्नाधीन भूमि अधिहरित किए जाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा एस0डी0ओ0 के समक्ष पृथक-2 अपीलें पेश की गई । अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को एस.डी. ओ. द्वारा दिनांक 31-1-13 के द्वारा एवं अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा की गई अपील को आदेश दिनांक 9-11-12 द्वारा प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दी गई । इन आदेशों के विरुद्ध उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलें पेश की गई

for


जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेशों द्वारा स्वीकार की एवं एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए । अपर आयुक्त के इन आदेशों के विरुद्ध यह निगरानियां इस न्यायालय में पेश की गई हैं ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय है जिस पर मदीना मस्जिद बनी हुई है जिसमें पिछले 30-35 वर्षों से मुस्लिम समुदाय नवाज अदा करता चला आ रहा है । अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 का प्रश्नाधीन आराजी पर कोई कब्जा नहीं है । और ना ही वे प्रश्नाधीन आराजी पर कोई हित व अधिकार रखते हैं । आवेदक मदीना मस्जिद कमेटी को अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं बनाया गया । अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 ने दुर्भावना से आवेदक की संपत्ति को हड़पने के आश से आलोच्य आदेश पारित कराया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि आवेदक मदीना मस्जिद कमेटी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देने की कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है । प्रश्नाधीन संपत्ति मस्जिद की संपत्ति नहीं है । मस्जिद जिस भूमि पर स्थित है उसके सर्वे नंबर अलग है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 3 नूर मोहम्मद की ओर से तर्क दिया गया है कि यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है । आवेदक किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है । विचारण न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा संहिता

की धारा 248 के तहत कार्यवाही नहीं की गई है । आवेदक को




अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है । प्रश्नाधीन संपत्ति उनकी निजी संपत्ति है ।


6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेशों को मुख्यतः इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा तहसीलदार के समक्ष जबाब पेश करने हेतु समय चाहा गया था परंतु तहसीलदार द्वारा समय न दिया जाकर सीधे अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है इस कारण संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की गई है । तहसीलदार को उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमांकन कर यह देखना चाहिए था कि सर्वे नंबर 42 के रकबे पर अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा अतिक्रमण किया गया है या नहीं और पटवारी द्वारा भी नक्शे में लाल रखाही से अतिक्रमण चिन्हित नहीं किया गया है । जहां तक अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय की कार्यवाही को अवैध ठहराने का प्रश्न है वह अपने स्थान पर सही है । किंतु उक्त स्थिति में उनका दायित्व था कि वे प्रकरण को उभयपक्ष को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करते । चूंकि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप उन्हें प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रह गया है इस कारण अपर आयुक्त का यह विधिक दायित्व था वे स्वयं साक्ष्य आदि लेकर संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करते परंतु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही न किए जाने के कारण संहिता के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण में

fr



अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को विधिवत कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए तथा संहिता की धारा 248 में दिए गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में विधि अनुरूप आदेश पारित करें ।


(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर